# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
## शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 315/2006

श्री गोविन्द राम वर्मा,
मोतीपुर, चौकीपारा, वार्ड नं. 6,
कृपासिन्धु आश्रम,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) .......... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी,
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग,
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जन सूचना अधिकारी,
संचालक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .......... प्रतिअपीलार्थीगण

:: आदेश ::

( दिनांक 24 अक्टूबर 2006 )

अपीलार्थी श्री गोविन्द राम वर्मा ने जन सूचना अधिकारी, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री के पत्र दिनांक 20–01–2006 के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री को दिनांक 06–12–2005 को आवेदन पत्र देकर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत श्री सुन्दरलाल वर्मा, जुनियर कम्पोजिटर की वेतनवृद्धि, निलंबन आदेश, गृह भाड़ा भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता तथा विभागीय जाँच संबंधी कार्यवाहियों की छायाप्रतियां तथा उन्हें देय मकान भाड़ा तथा नगर क्षतिपूर्ति भत्ता देने संबंधी जानकारी मांगी थी। सूचना अधिकारी, संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के द्वारा उन्हें पत्र दिनांक 20–01–2006 के द्वारा सूचित किया गया कि अधिनियम की धारा–8(जे) के अनुसार दस्तावेजों के प्रगतिकरण में लोकहित समाहित न होने के कारण आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी की जानकारी भी जन सूचना अधिकारी ने उन्हें पत्र में सूचित की थी। उनके द्वारा दिनांक 14–04–2006 को प्रथम अपील की गई, किन्तु नान–ज्युडिशियल स्टॉम्प न मिलने का उल्लेख करते हुए 22–05–2006 को अपील शुल्क नान–ज्युडिशियल स्टॉम्प के रुप में लगाया गया।

अपीलीय अधिकारी के निर्णय न होने के फलस्वरूप उसने द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

**3/** आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री को नोटिस जारी किया गया। जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में बताया कि अपीलार्थी ने प्रथम अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं की है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के द्वारा माँगी गई जानकारी तीसरे पक्ष श्री सुन्दरलाल वर्मा से संबंधित है तथा इसका व्यापक जनहित से कोई संबंध नहीं है। अतः प्रतिपक्ष की सुनवाई अभी जन सूचना अधिकारी के समक्ष विवेकाधीन है, अतः व्यापक जनहित में जानकारी न होने से अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

**4/** आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी दोनों पक्षों को सुना गया। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री आशुतोष चन्देल तथा प्रतिअपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री एस. सी. खाखरिया के तर्कों पर विचार किया गया। प्रतिअपीलार्थी का यह तर्क है कि अपीलार्थी ने प्रथम अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं की थी। इसके जवाब में अपीलार्थी के द्वारा यह बतलाया गया कि नान–ज्युडिशियल स्टॉम्प नहीं होने के कारण प्रथम अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ। अतः आयोग विलम्ब पर्याप्त कारणों से मानकर प्रतिअपीलार्थी का तर्क अस्वीकार करता है। प्रतिअपीलार्थी ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण प्रतिअपीलार्थी के समक्ष विवेकाधीन है। अतः द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का औचित्य नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी को 30 दिन के अंदर जानकारी देने के संबंध में निर्णय लिये जाने का प्रावधान है, उसमें तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी भी सम्मिलित है। तृतीय पक्ष की जानकारी होने से समयावधि में होने से वृद्धि नहीं होती है। चूँकि जन सूचना अधिकारी ने 30 दिन के अंदर निर्णय नहीं लिया है, अतः अपीलार्थी को प्रथम अपील तथा तत्पश्चात् द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि क्या किसी शासकीय सेवक की वेतनवृद्धि, निलंबन आदेश, गृह भाड़ा भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता तथा विभागीय जाँच से संबंधित जानकारी व्यापक जनहित में है अथवा नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4(बी) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह अपने संगठन से संबंधित अभिलेख, कृत्य एवं कर्तव्यों, अधिकारीगण तथा कर्मचारियों की शक्तियों तथा मासिक पारिश्रमिक जो उसके प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है, तथा उसके विनियमों में संबंधित क्षतिपूर्ति आदि से संबंधित जानकारी रखे और ऐसी जानकारियाँ अधिनियम प्रकाशित होने के दिनांक से 120 दिनों के भीतर प्रकाशित करे। अतः जन सूचना अधिकारी के द्वारा श्री सुन्दरलाल वर्मा के संबंध में जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध कराने का दायित्व है। शासकीय सेवक को किस आरोप में निलंबित किया है, उससे संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानकारी भी जनहित की आड़ लेकर नहीं दिया जाना उचित नहीं प्रतीत होता। चूँकि अपीलार्थी ने अनेक दस्तावेजों की तथा कार्यवाहियों की जानकारी चाही है, अतः जन सूचना अधिकारी, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री को निर्देश दिये जाते हैं कि वे निःशुल्क अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सूचना भेजकर अभिलेखों का अवलोकन करायें तथा अपीलार्थी जिन अभिलेखों की छायाप्रतियाँ चाहता है, उसका नियमानुसार शुल्क

लेकर, शुल्क जमा होने के 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करावें। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं दिये जाने का आरोप सिद्ध नहीं होता। अतः प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी को अर्थदण्ड दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

5/ उक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

हस्ता0/– 24–10–2006
( ए. के. विजयवर्गीय )
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त